न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 14 / 2016 तारीख रजू:–11.04.2016

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा
2. अमरचन्द उर्फ अमरलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा
3. सूरज पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा
4. गंगाधर पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा
5. कन्हैयालाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा
6. भूली बेवा मांग्या उर्फ मांगीलाल बैरवा **(फोत) (नाम हजफ)**

निवासीयान सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गुलजारी पुत्र अली मुसलमान बंजारा **(फोत)**

   1 / 1. अय्यूब पुत्र गुलजारी मुसलमान बंजारा

   1 / 2. धापू पत्नि गुलजारी मुसलमान बंजारा

   निवासीसान रहमानपुरा की ढाणी, शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपस्थितः–

वकील वादीगणः– श्री अब्दुल वहाब , एडवोकेट

वकील प्रतिवादीगणः–श्री हंसराज यादव एडवोकेट

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक 10.11.2025

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादीगण ग्राम सारसोप एवं प्रतिवादी रहमानपुरा की ढाणी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वादीगण अनुसूचित बैरवा जाति के व्यक्ति हैं।

❖ वादीगण 1 लगायत 5 के पिता व वादिया संख्या 6 के पति मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र काना की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नंबर 426 / 1

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम सारसोप, जो सारसोप के नजदीक स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजीयात खसरा नंबर 427, 428, 429, 430/1 रकबा 2 बीघा तथा 430/3, 431/4, 434/4 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा ग्राम सारसोप में स्थित है, जो ग्राम इस्लामपुरा के पास है, जो वादीगण के पूर्वज मांग्या उर्फ मांगीलाल पुत्र काना को तथा प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित हुई थी। तभी से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी–अपनी आवंटित शुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पूर्वज मांग्या उर्फ मांगीलाल का देहान्त हो जाने के कारण वादीगण के नाम खातेदारी हो चुकी है। साबिक आराजीयात का अंकन जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में हो रहा है।

❖ सेटलमेंट के दौरान वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नंबर 426/1 रकबा 6 बीघा के नवीन खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 बनाये जाकर वादीगण की खातेदारी में अंकन किया गया है। इसी प्रकार प्रविातदी संख्या 1 की साबिक आराजीयात खसरा नंबर 427, 428, 429, 430/1 कुल रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 बनाये जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी अंकन किया है।

❖ दौराने सेटलमेंट मौके की स्थिति के विपरीत अंकन किया है, अर्थात वादीगण को नवीन खसरा नंबर 2323, 2326 की खातेदारी अंकित की है, परन्तु वादीगण नवीन खसरा नंबर 2207, 2212, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है, पर काबिज है। वादीगण के कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि खसरा नंबर 2207, 2212 पर कुआं खुदा हुआ है, जो वादीगण के कब्जे एवं स्वामित्व का है। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत अंकन कर दिया है।

❖ वादीगण दिनांक 02.02.2016 को केसीसी बनवाने पटवारी हल्का से खातेदारी की नकले निकलवाने गये तब वादीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये गलत अंकन की जानकारी हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra S
Date: 2025.11.11 16:26:41 IS
Reason: SelfAttested

❖ अतः दावा वादीगण इस अमर डिकी फरमाया जाये कि–

➢ घोषणा इस अमर फरमाई जाये कि वादीगण आराजीयात खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा खातेदारी काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

है, तथा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में अपने नाम अंकन करवाने के अधिकारी हैं।

- ➤ आराजीयात खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप से वादीगण का नाम हजफ फरमाया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नंबर 2207, 2212 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नवीन खसरा नंबर 2323, 2326 की खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

- ➤ प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वो वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2207, 2212 वाके ग्राम सारसोप के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें और ना ही रहन मुन्तकिल करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि–

- वादीगण खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सारसोप पर काबिज हैं तथा मिन प्रतिवादी खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0 खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप पर काबिज हैं। सेटलमेंट विभाग ने गलत खातेदारी अंकित कर दी है, इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी मिन खसरा नंबरान पर काबिज है, उनको उसी जगर खातेदारी अंकित करने में मिन प्रतिवादी को कोई ऐतराज नहीं है।

- वादीगण को खसरा नंबर 2207, 2212 व प्रतिवादी संख्या 1 को 2323 व 2326 पर खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने में कोई आपत्ति नहीं है तथा दावा डिकी फरमाया जाये।

4. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से अपने पत्रांक [illegible]/2020/0002 दिनांक [illegible] 10.2020 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाई है, जो निम्नानुसार है–

✓ मौके पर ग्राम सारसोप के ख0नं0 2323 रकबा 0.70 है० पर प्रभू पुत्र ओकार बैरवा निवासी सारसोप, ख0नं0 2326 रकबा 0.84 है० पर गुलजारी पुत्र अली बन्जारा का कब्जा काश्त है व खसरा नम्बर 2207 रकबा 0.47 है० पर रामलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Si
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र मांग्या वगै० जाति बैरवा का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 2212 रकबा 0.79 है० पर हनुमान पुत्र श्रीलाल मीना निवासी सारसोप का कब्जा काश्त है।

✓ ग्राम सारसोप के खसरा नम्बर 2207 रकया 0.47 है0, 2212 रकबा 0.79 है० किता 2 रकबा 1.26 है० गुलजारी पुत्र अली बन्जारा के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 2323 रकबा 0.70 है0, 2326 रकबा 0.84 है० रामलाल अमरचन्द सूरज गंगाधर कन्हैयालाल पि० माग्या भूलीदेवी पत्नि स्व० मांग्या बैरवा के नाम खातेदारी दर्ज है।

✓ वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 2323 रकबा 0.70 है० पर प्रभू पुत्र ओकार बैरवा, ख०नं० 2326 रकबा 0.84 है० पर गुलजारी पुत्र अली बन्जारा खसरा नम्बर 2207 रकबा 0.47 है० पर रामलाल पुत्र माग्या वगैरह तथा खसरा नम्बर 2212 रकबा 0.79 है० पर हनुमान पुत्र श्रीलाल मीना निवासी सारसोप का कब्जा काश्त है।

✓ साबिक खसरा नम्बर 426/1 व 427, 428, 429 आदि के मध्य की दूरी (साबिक नक्शे अनुसार) लगभग 180 मीटर है तथा हाल खसरा नम्बर 2323, 2326 व 2207. 2212 के मध्य की दरी (नवीन नक्शे अनुसार) लगभग 340 मीटर है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब शुद्धिकरण की अभिशंषा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

5. वादीगण एवं प्रतिवादीगणों कीएक राजीनामा इस अमर प्रस्तुत किया है कि–

- उक्त प्रकरण में हम पक्षकारान के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है।

- मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सारसोप का हम वादीगण को एवं खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप का प्रतिवादी अय्यूब व धापू को खातेदारी काश्तकार घोषित कर वादीगण के नाम खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 1.26 है0 व प्रतिवादीगण के नाम खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप का राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में अंकन करने मे हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण फरमाने की कृपा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6\. यह है कि हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तथ्यों का मनन किया। प्रकरण में उभयपक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है, जिसके अनुसार आराजी खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0 एवं खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम सारसोप का हम वादीगण को एवं खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप का प्रतिवादी अय्यूब व धापू को खातेदारी काश्तकार घोषित कर वादीगण के नाम खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 1.26 है0 व प्रतिवादीगण के नाम खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 कुल रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सारसोप का राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स में अंकन करने मे हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

7\. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने भी सेटलमेंट विभाग द्वारा हुई अशुद्धी को दुरूस्त करने की अभिशंषा की है।

8\. उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजीयात का राजीनामे अनुसार शुद्धी किया जाना उचित समझता हूं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

–:आदेशः–

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2207 रकबा 0.47 है0, खसरा नंबर 2212 रकबा 0.79 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.26 है0 को वादीगण के नाम एवं ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2323 रकबा 0.70 है0, खसरा नंबर 2326 रकबा 0.84 है0 को प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वो वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर [illegible] वाके ग्राम सारसोप के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई बाधा [illegible] जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible]तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)